

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपूर

क्रमांकः शैक्षणिक-द्वितीय / 2020 /

दिनांक : 73/06/20

सभी शैक्षणिक पी.जी. विभागाध्यक्ष, 34944 राजस्थान विश्वविद्यालय. जयपुर।

> विषय:- ऐसे छात्र/छात्राओं जिन्होंने ऑनलाईन फॉर्म में ट्यूशन फीस में Non-Income Tax Payer की छूट प्राप्त करने की घोषणा भरने के सन्दर्भ में।

महोदय / महोदया.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन कर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पी. जी. सेमेस्टर-तृतीय में रिएडिमशन के फार्म ऑनलाईन भरवाये जा रहे है फार्म के साथ ही एक निम्न घोषणा-पत्र भी अपलोड किया हुआ है :-

Declaration for students claiming Non-Income Tax Payer concession in fees

"I am ward of Non-income tax payer, for which, I will produce the original Income Tax certificate of my parents as and when the Department opens for study. Further, I also undertake that if any ambiguity is found in the fees so deposited by me, I will deposit the balance fee to the University otherwise University is authorised to cancel my admission".

Signature of Applicant

जिन छात्र/छात्राओं ने फीस में रियायत प्राप्त करने के लिये घोषणा पत्र भरा है उन छात्र / छात्राओं से जब भी विभाग में पढाई शुरू हो तो उनसे अभिभावकों का आय प्रमाण-पत्र लेकर जो फीस छात्र / छात्रा ने जमा कराई है उसे सत्यापित करें। अगर किसी छात्र / छात्रा ने फीस को कम जमा करवाया है तो उससे balance फीस भी विश्वविद्यालय खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

> भवदीय. 70 कुलसचिव

क्रमांकः शैक्षणिक-द्वितीय/2020/3 4 945 - 5 0

दिनांक : 2306/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:- | वेवसार्वेट प्रयूपिक क्रार्य के निर्धार के मिर्चेट प्रयूपिक क्रार्य के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट प्रयूपिक क्रार्य के क्रिक्ट के क्रिक्ट प्रयूपिक क्रार्य के क्रिक्ट क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक के क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक

ᢃ निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

🐴 निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।